न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 01/2025 अपील (राजस्व)

GCMS No. 2025/6

कालु पिता नाथु निवासीः धोली मगरी, तहसील–मावली, हाल तहसील–घासा, उदयपुर

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मावली, उदयपुर

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध तहसीलदार मावली के आदेश क्रमांक भू.अ./2018/1230–32 दिनांक 29.06.2018 एवं नामांतरकरण संख्या 674 दिनांक 05.07.2018

उपस्थित : श्री भूरालाल डांगी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 10/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार मावली के आदेश दिनांक 29.06.2018 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी कालु पिता नाथु जी डांगी को ग्राम खेड़ीघासा की आराजी संख्या 788/255 रकबा 1 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर जरिये मिशल संख्या 500/83 से आवंटित की गई जिसका नामांतरकरण संख्या 143 दिनांक 25.10.1983 से अमल दरामद हुआ तथा उस समय से अपीलार्थी कालु पिता नाथुजी के कब्जे काश्त चली आ रही है। उक्त आदेश के विरूद्ध तहसीलदार मावली द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./2016/14(4)/5187 दिनांक 28.07.2016 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के समक्ष आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय आप न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 15/16 आ.नि. द्वारा दिनांक 09.04.2018 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार मावली को इन निर्देशों के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा कि विपक्षी संख्या एक यानि कि आवंटी

जिला कलक्टर
उदयपुर

कालु पिता नाथु जी को आवंटित भूमि में से शमशान पर जाने हेतु रास्ते की भूमि एवं प्राकृतिक पानी के बहाव के रूप में मौके पर बने नाले की भूमि को कम किया जाकर शेष भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षी (कालु पिता नाथु डांगी) के नाम पर गैर खातेदारी से पूर्ववत दर्ज करें एवं रास्ता इन्द्राज हेतु विधिवत प्रस्ताव बनाकर रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली जावें। जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा बिना अपीलार्थी को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलार्थी की जानकारी के अधीनस्थ तहसीलदार मावली द्वारा मनमकसुद तरीके से जरिये आदेश क्रमांक भू.अ./2018/1230–32 दिनांक 29.06.2018 से अपीलार्थी कालु पिता नाथु जी डांगी को ग्राम खेड़ीघासा की आराजी संख्या 788/255 रकबा 1 बीघा में से 16 बिस्वा भूमि को बिलानाम दर्ज कर दी तथा मात्र 4 बिस्वा भूमि ही अपीलार्थी के गैर खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश कर दिया तथा जिसकी पालना में ग्राम खेड़ीघासा के नामांतरकरण संख्या 674 दिनांक 05.07.2018 को भूमि बिलानाम दर्ज कर दी। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमांक भू.अ./2018/1230–32 दिनांक 29.06.2018 से अपीलार्थी कालु पिता नाथुजी डांगी को ग्राम खेड़ीघासा की आराजी संख्या 788/255 रकबा 1 बीघा की पालना में ग्राम खेड़ीघासा के नामांतरकरण संख्या 674 दिनांक 05.07.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा पटवारी हल्का द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत पर्चा मौका ग्राम खेड़ीघासा पटवार वृत धोलीमगरी द्वारा दिनांक 18.01.2018 में मौके की वस्तुस्थिति शमशान में जाने के लिए रास्ता एवं प्राकृतिक नाले की भूमि जो करीब दो बिस्वा भूमि बनती है, को छोड़ते हुए शेष भूमि अपीलार्थी कालु के नाम दर्ज करायी जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी कालु पिता नाथु जी डांगी को ग्राम खेड़ीघासा की आराजी संख्या 788/255 रकबा 1 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर जरिये मिशल संख्या 500/83 से आवंटित की गई जिसका नामांतरकरण संख्या 143 दिनांक 25.10.1983 से अमल दरामद हुआ तथा उस समय से अपीलार्थी कालु पिता नाथुजी के कब्जे काश्त चली आ रही है। उक्त आदेश के विरूद्ध तहसीलदार मावली द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./2016/14(4)/5187 दिनांक 28.07.2016 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के समक्ष आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय आप न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या

जिला कलक्टर
उदयपुर

15/16 आ.नि. द्वारा दिनांक 09.04.2018 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार मावली को इन निर्देशों के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा कि विपक्षी संख्या एक यानि कि आवंटी कालु पिता नाथु जी को आवंटित भूमि में से शमशान पर जानें हेतु रास्ते की भूमि एवं प्राकृतिक पानी के बहाव के रूप में मौके पर बने नाले की भूमि को कम किया जाकर शेष भूमि राजस्व रेकर्ड में विपक्षी (कालु पिता नाथु डांगी) के नाम पर गैर खातेदारी से पूर्ववत दर्ज करें एवं रास्ता इन्द्राज हेतु विधिवत प्रस्ताव बनाकर रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली जावें। जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा बिना अपीलार्थी को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलार्थी की जानकारी के अधीनस्थ तहसीलदार मावली द्वारा मनमकसुद तरीके से जरिये आदेश क्रमांक भू.अ./2018/1230–32 दिनांक 29.06.2018 से अपीलार्थी कालु पिता नाथु जी डांगी को ग्राम खेड़ीघासा की आराजी संख्या 788/255 रकबा 1 बीघा में से 16 बिस्वा भूमि को बिलानाम दर्ज कर दी तथा मात्र 4 बिस्वा भूमि ही अपीलार्थी के गैर खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश कर दिया तथा जिसकी पालना में ग्राम खेड़ीघासा के नामांतरकरण संख्या 674 दिनांक 05.07.2018 को भूमि बिलानाम दर्ज कर दी जबकि पटवारी हल्का द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत पर्चा मौका ग्राम खेड़ीघासा पटवार वृत धोलीमगरी द्वारा दिनांक 18.01.2018 में मौके की वस्तु स्थिति शमशान में जाने के लिए रास्ता एवं प्राकृतिक नाले में स्पष्ट की गयी, जिसके अनुसार मात्र दो बिस्वा भूमि से ज्यादा नहीं होती हैं फिर भी माननीय आप न्यायालय के आदेश को निष्फल करते हुए कतिपय गांव में भू–माफिया एवं भूमि दलालों के दबाव में मात्र 4 बिस्वा भूमि को गैर खातेदारी में दर्ज करते हुए 16 बिस्वा हिस्सा बिना किसी आधार के बिलानाम दर्ज कर दी गयी और मौके पर कोई रास्ता दर्ज नहीं कराया गया। दिनांक 02.12.2024 को अपीलार्थी के पड़ोसियों द्वारा सूचना दी कि कुछ व्यक्ति उक्त वादग्रस्त जमीन पर जेसीबी लेकर आये और काफी सारे पेड़ उखाड़ दिये है और भूमि को समतल कर रहे है। मौके पर भगवानलाल पिता हिरालाल जाट, भेरूलाल पिता गेगाजी डांगी, लोगर पिता लखमाजी मौके पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है और कहने लगे कि हमने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर तुम्हारी रास्ते और नाले के अलावा भूमि को भी बिलानाम दर्ज करवा दिया है और अब इस जमीन पर कब्जा करेंगे। वादग्रस्त भूमि में से नाले व शमशान के रास्ते की जमीन के अलावा भी ज्यादातर भूमि जो कि अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, को भी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बिलानाम दर्ज कर दी है। जिस पर तहसीलदार मावली के आदेश क्रमांक भू.अ./2018/1230–32 दिनांक 29.06.2018 से अपीलार्थी कालु पिता नाथुजी

जिला कलक्टर
उदयपुर

डांगी को ग्राम खेड़ीघासा की आराजी संख्या 788/255 रकबा 1 बीघा में से 16 बिस्वा भूमि को बिलानाम दर्ज कर दी तथा मात्र 4 बिस्वा भूमि ही अपीलार्थी के गैर खातेदारी हक से दर्ज करने का आदेश कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा पटवारी हल्का से जमाबन्दी व नामांतरकरण की नकलें निकलवाने से जानकारी हुई इसके पूर्व उक्त आदेश की जानकारीं नहीं थी जिससे अपील जानकारी के अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमांक भू.अ./2018/1230–32 दिनांक 29.06.2018 से अपीलार्थी कालु पिता नाथुजी डांगी को ग्राम खेड़ीघासा की आराजी संख्या 788/255 रकबा 1 बीघा की पालना में ग्राम खेड़ीघासा के नामांतरकरण संख्या 674 दिनांक 05.07.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा पटवारी हल्का द्वारा पत्रावलीं पर प्रस्तुत पर्चा मौका ग्राम खेड़ीघासा पटवार वृत धोलीमगरी द्वारा दिनांक 18.01.2018 में मौके की वस्तुस्थिति शमशान में जाने के लिए रास्ता एवं प्राकृतिक नाले की भूमि जो करीब दो बिस्वा भूमि बनती है, को छोड़ते हुए शेष भूमि अपीलार्थी कालु के नाम दर्ज करायी जावें।

विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा माननीय आप न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2018 की पूर्ण पालना करते हुए नियमों के परिपेक्ष्य में विधिवत रूप से नामांतरकरण की कार्यवाही की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली द्वारा पारित आदेश क्रमांक भू.अ./2018/1230–32 दिनांक 29.06.2018 के क्रम में खोला गया नामांतरकरण संख्या 674 दिनांक 05.07.2018 विधिसम्मत होकर उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2018 का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा **"प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मावली को यह निर्देश दिये जाते है कि वह विपक्षी संख्या 1 को आवंटित भूमि में से श्मशान पर जाने हेतु रास्ते की भूमि एवं प्राकृतिक पानी के बहाव के रूप में मौके पर बने नाले की भूमि को कम किया जाकर शेष भूमि को राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम गैर खातेदारी से पूर्ववत दर्ज करें एवं रास्ते व नाले की भूमि को बिलानाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावें एवं रास्ता इन्द्राज हेतु विधिवत प्रस्ताव बनाकर रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली जावे।"** का निर्णय पारित किया गया जिसकी

जिला कलक्टर
उदयपुर

पालना में तहसीलदार मावली द्वारा राजस्व ग्राम खेड़ीघासा तहसील मावली की आराजी संख्या 788/255 रकबा 1 बीघा में से 788/255 मी. 16 बिस्वा बिलानाम एवं 788/255 रकबा 4 बिस्वा भूमि खातेदार कालु पिता नाथु के नाम गैर खातेदारी से दर्ज की गई। अपीलार्थी का कथन है कि रास्ते व नाले के लिए 4 बिस्वा एवं शेष 16 बिस्वा भूमि अपीलार्थी के नाम दर्ज की जानी थी परन्तु इसके विपरित नामांतरकरण की कार्यवाही की गई है।

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार राजस्व ग्राम खेड़ीघासा तहसील मावली की आराजी संख्या 788/255 रकबा 4 बिस्वा (0.0324 हैक्टेयर) भूमि नामान्तरकरण संख्या 809 दिनांक 17.03.2025 से गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की जाकर नामान्तरकरण संख्या 811 दिनांक 24.03.2025 वर्तमान में मानाराम डांगी पुत्र सवा डांगी हिस्सा पूर्ण जाति डांगी सा. सांगवा तहसील–घासा, के नाम बेचान से दर्ज रिकार्ड है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.04.2018 की पालना में तहसीलदार मावली द्वारा नामांतरकरण संख्या 674 दिनांक 05.07.2018 पारित किया गया। लगभग 6 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत करने का कोई प्रमाणिक एवं स्वीकार्य कारण प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलार्थी का विलम्ब से आना एवं बेचान करना अपीलार्थी की न्यायालय द्वारा जारी आदेश एवं पारित नामांतरकरण के संबंध में सहमति प्रकट करता है। दौराने बहस भी बिकाव एवं वर्तमान खातेदार के संबंध में कोई तथ्य जाहिर नहीं किये गये है इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नही आया है।

अतः अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार मावली/घासा को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर